न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 26 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 08.08.2023

1—जरासन्ध पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2—प्रेम पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
3—रामपाली पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
4—श्योराम पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
5—धारासिंह पुत्र कजोडमल जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
6—राजेन्द्र कुमार पुत्र कजोडमल जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
7—अनिता पुत्री कजोडमल जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
8—पिंकी पुत्री कजोडमल जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
9—सीता देवी पत्नि कजोडमल जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
2—गिरदावर खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
3—हल्का पटवारी देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 495 दिनांक 18.10.2022 वाके ग्राम कुण्डिया तहसीलदार उनियारा

उपस्थिति —(1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 9.07.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.10.2022 को मृतक खातेदार गजानन्द पुत्र परस्या जाति मीणा सा. देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 18.10.2022 वाके ग्राम कुण्डिया कजोड,जरासन्ध,श्योराम पि.गजानन्द,प्रेम,रामपाली पुत्री गजानन्द जाति मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.10.2022 को खारिज किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या 3 ने नामान्तकरण संख्या 495 दिनांक 25.08.2022 को मृतक गजानन्द पुत्र परस्या मीणा की विरासत का अपीलान्ट संख्या 1 ता. 4 व अपीलान्ट संख्या 5 ता. 8 के पिता व अपीलान्ट संख्या 9 के पति कजोड़मल के पक्ष में भरा गया। इसी दौरान अपीलान्ट संख्या 5 ता. 8 के पिता व अपीलान्ट संख्या 9 के पति कजोड़मल की मृत्यु दिनांक 12.09.2022 को हो जाने के कारण रेस्पो. संख्या 3 ने उक्त नामान्तकरण पर दिनांक 17.10.2022 को मुझे चार्ज मे प्राप्त हुआ है कि रिपोर्ट की है। जिसकी जाँच मे पाया कि कजोड़मल की मृत्यु हो चुकी है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न नही है। अतः नामान्तकरण खारिज किया जाना उचित है, उक्त रिपोर्ट की रेस्पो. संख्या 2 ने जॉच की तथा रिपोर्ट को सही माना तथा उक्त दोनो रिपोर्ट के आधार रेस्पो. संख्या 1 ने उक्त नामान्तकरण को दिनांक 18.10.2022 को खारिज कर दिया है। नामान्तकरण संख्या 495 को निरस्त करने से पूर्व रेस्पो ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा ना ही उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट्स को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, जिससे रेस्पो.संख्या 1 का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। रेस्पो.ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व स्थापित कानून का तथा दौराने नामान्तकरण किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके सम्बन्ध मे दिये गये सीपीसी के प्रावधानो का सही तरह से मनन नही किया तथा बिना विधि के प्रावधानो का ध्यान रखे आलोच्य आदेश पारित कर दिया है।नामान्तकरण खारिज नही किया जा सकता था,क्योकि मृतक गजानन्द के कजोड़मल के अलावा अपीलान्ट संख्या 1 ता. 4 भी वारिस है तथा जहां तक कजोड़मल की मृत्यु का प्रश्न है तथा उसके मृत्यु प्रमाण पत्र नही होने का प्रश्न है तो हल्का पटवारी ने इस सम्बन्ध मे कोई जॉच नही की। मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलान्ट से मांग जा सकता था या अपीलान्ट को सूचना दी जा सकती थी,क्योकि अपीलान्ट्स कोई दस्तावेज तब उपलब्ध कराते जब उन्हे सूचना दी जाती। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 495 वाके ग्राम कुण्डिया तहसील उनियारा पर पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.10.2022 को मृतक खातेदार गजानन्द पुत्र परस्या जाति मीणा सा. देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 18.10.2022 वाके ग्राम कुण्डिया कजोड,जरासन्ध,श्योराम पि.गजानन्द,प्रेम,रामपाली पुत्री गजानन्द जाति मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज किया गया है,उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.10.2022 को खारिज किया गया है। नामान्तकरण कि प्रकिया के दोरान कजोडमल मीणा कि मृत्यु हो गई थी। तहसीलदार उनियारा को नामान्तकरण निरस्त करने के बजाये पटवारी हल्का देवरी को निर्देशित करना चाहिये था कि मृतक कजोडमल मीणा के वारिसान की जांच कर नामान्तकरण कि कार्यवाही करे। अतः नामान्तरकरण संख्या 495 दिनांक 18.10.2022 वाके ग्राम कुण्डिया तहसील उनियारा को निरस्त किया जावे और प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रेषित (Remand) किया जावे कि वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करना न्यायसंगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.10.2022 को मृतक खातेदार गजानन्द पुत्र परस्या जाति मीणा सा. देह की विरासत का नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 18.10.2022 वाके ग्राम कुण्डिया कजोड,जरासन्ध,श्योराम पि.गजानन्द,प्रेम,रामपाली पुत्री गजानन्द जाति मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के बाद अपीलांट संख्या 5 ता. 8 के पिता व अपीलान्ट संख्या 9 के पति कजोड़मल की मृत्यु हो जाने से उक्त नामान्तकरण को दिनांक 18.10.2022 को तहसीलदार उनियारा द्वारा खारिज किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तकरण खारिज करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर नही दिया गया है,जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान की सुनवाई करना आवश्यक है। राजकीय पेरोकार ने भी दोराने बहस नामान्तरकरण संख्या 495 दिनांक 18.10.2022 वाके ग्राम कुण्डिया तहसील उनियारा को निरस्त किया जावे और प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जावे कि वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। दौराने कार्यवाही कोई व्यक्ति/पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तथा सम्पति मे हक उसके विधिक उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है तो ऐसी व्यक्तियो/पक्षकारो को अभिलेख/पत्रावली पर लिया जाता है। यह प्रावधान सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 3 व 4 मे निहित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 495 दिनांक 18.10.2022 वाके ग्राम कुण्डिया तहसील उनियारा को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात तथा वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 9.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)